न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक / रिव्यू / 2016–नीमच

1) दयावंती पति सत्यनारायण काछी
2) कुंजबिहारी पिता सत्यनारायण काछी
दोनो निवासीगण काछी मोहल्ला मनासा
जिला नीमच म0प्र0 ———निगरानीकर्ता

बनाम

1) गोपाल पिता मोतीलाल, निवासी
काछी मोहल्ला मनासा, हा.मु. – 111,
राजीव आवास बिहार स्कीम नं. – 114
ब्लॉक – बी, विजयनगर इंदौर
2) तुलसीराम पिता झुणालाल
(सणालाल) काछी, निवासी–काछी
मोहल्ला, तहसील मनासा जिला नीमच
म0प्र0 ———–अनावेदकगण

रिव्यू आवेदन पत्र बावत् आदेश माननीय न्यायालय 14.09.2016

प्रकरण कमांक निगरानी 2382 –पी.बी.आर.2016

श्रीमान् जी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न कारण से प्रस्तुत योग्य है :–

1. यहकि, पुनर्रलोकन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2016 में पारित आदेश में प्रथम ~~बिन्दु~~ ~~में~~ लिखे गये वर्णित त्रुटियों के कारण स्वीकृत कर प्रकरण में विवादस्त पद बिन्दु का निराकरण न्याय हेतु किया जाना योग्य है।
2. यहकि, उक्त पुनारविलोपन के प्रार्थना पत्र के निराकरण हेतु प्रार्थी की निगरानी में वर्णित तथ्य व आधार इस पुनर्रावलोकन प्रार्थना पत्र के निराकरण हेतु आवश्यक है एवं उक्त निगरानी प्रकरण का रिकॉर्ड माननीय न्यायालय में उपलब्ध है। अतः उक्त प्रकरण सलंग्न कर इस पुनर्रावलोकन का निराकरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस कारण उक्त निगरानी के तथ्य व आधार यहा वर्णित नहीं किये जा रहे है। उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वह तथ्य व आधार माननीय महोदय के विचारर्थ उक्त रिकॉर्ड संलग्न कर अवलोकन किया जाना आवश्यक है।
3. यहकि, माननीय न्यायालय का आदेश प्रकरण में निहित बिन्दु को Considered नहीं करने के कारण तथा उसकी वास्तविकता समझने में (Real sense) ना समझने के कारण रिव्यू आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3331–पीबीआर/2016 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06–10–16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2382–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 14–9–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । अध्यक्ष	